न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 108/2018

साहबराम पुत्र स्व0 कालूराम पुत्र रेड़ाराम जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान।

– वादी

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी राणाराम पुत्री स्व0 कालूराम जाति मेघवाल साकिन चक 17 के एच एम तहसील पुगल जिला बीकानेर।
2. संतरो पुत्री कालूराम – फोत

2/1 मुकेश पुत्र स्व0 संतरो पुत्री कालूराम जाति मेघवाल निवासी गांव दुलवाणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3. रोशनी पत्नी प्रेमकुमार पुत्री स्व0 कालूराम जाति मेघवाल सकिन कीकरचक तहसील व जिला फाजिल्का–पंजाब ।
4. पेपली पत्नी रोहताश पुत्री स्व0 कालूराम जाति मेघवाल साकिन आजाद नगर हिसार तहसील जिला हिसार– हरियाणा।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार सादुलशहर ।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 आरटीए
एक्ट बरबिनाय वसीयत दिनांक 02.03.1995 तथा अन्य साक्ष्य हर किस्म

उपस्थित :–

1. श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता वादी
2. राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक : 16.12.19

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 आरटीए एक्ट बरबिनाय वसीयत दिनांक 02.03.1995 तथा अन्य साक्ष्य हर किस्म आरटीए के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी के दादा स्व0 रेडाराम पुत्र शेराराम के नाम से चक 8 बीएनडब्ल्यू तहसील सादुलशहर मे मु.न. 38 प.न. 20/135 का 19.00 बीघा मु.न. 36 प.न. 21/133 का 7.00 बीघा तथा मुरब्बा नं. 39 प नं. 21/134 का 25.00 बीघा कुल 51.00 बीघा भूमि दर्ज कागजात पटवार माल थी तथा वादी के दादा ने अपने जीवन काल मे दिनांक 2.03.95 को अपने उपरोक्त भूमि की वसीयत करवाते हुए वादी की माता रामेशवरी बेव कालूराम व वादी के हक चक 8 बीएनडब्ल्यू मे मु.न. 38 का किला नं. 1 ता 15 किला नं. 18,19 कुल 17.00 बीघा की वसीयत की गई तथा शेष भूमि की वसीयत अपने पुत्रो मनीराम व भादरराम के नाम भी किला वाईज की। वादी के दादा का देहान्त हो चुका है। तथा वादी की माता भी देहान्त हो चुका है। वादी उपरोक्त 17.00 बीघा भूमि पर काबिज चला आ रहा है, क्योंकि बहिनों ने मोखिक तौर पर विवाहित होने के कारण कोई हक हिस्सा नही लेने का कहा हुआ है अब दिनांक 4.06.18 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल ली तो पता चला कि उपरोक्त भूमि का विरासत इंतकाल वादी व वादी की बहिनो सुमित्रा, संतरो, रोशनी, पेपली के नाम दर्ज है। पटवारी से सम्पर्क किया कि यह कैसे दर्ज हो गया तो उसने बताया कि इंतकाल मुताबिक वसीयत दर्ज ना होकर विरासत दर्ज हुआ है। वादी के चाचा मनीराम व भादर राम के हक मे जो वसीयत की गई है उनके नाम दर्ज हो चुकी है। वादी व वादी की माता के हक मे जो 17.00 बीघा की वसीयत की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

गई थी उसका इंतकाल वसीयत के आधार पर ही किया जाकर वादी के हिस्सा की भूमि उसके नाम दर्ज करनी आवश्यक थी। इस प्रकार वादी समस्त भूमि 17.00 बीघा जो वर्तमान जमाबंदी मे चक 8 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 60/66 मु.न. 38 प.न. 20/134 कुल 4.554 है. के रूप मे दर्ज है का अकेला हकदार है। क्योंकि वादी के दादा के देहान्त के बाद वादी की माता रामेशवरी की मृत्यु के बाद वादी की बहिनो ने अपना हक वा हिस्सा पंचायत मे मोखित तौर पर पारिवारिक समझोता द्वारा छोड़ दिया। इस प्रकार वादी समस्त रकबा 4.554 है. का खातेदार काश्तकार है व हकदार है तथा मौके पर काबिज चला आ रहा है । वादी ने अपनी लागत से उपरोक्त रकबा मे काफी खर्चा करके व मेहनत करके सुधार किया है जिससे जमीन की कीमत काफी बढ गई है। वादी की बहिन संतरो का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 2/1 है। वादी की बहिनो ने शादी शुदा होने के कारण अपने हिस्सा की भूमि अर्थात 8.10 बीघा मे जो हक हिस्सा बनता था वह अपने स्वेच्छा से वादी के हक मे छोड़ दिया था । अतः वादी अकेला ही 4.554 हैक्टैयर रकबा पर काबिज चला आ रहा है तथा खातेदार काश्तकार व हकदार है। प्रतिवादीगण के मन गलत लालच आ जाने से वे ना केवल स्वयं बल्कि अन्यो के माध्यम से वादी को जबरन बेदखल करने व राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज होने से उसका अनुचित लाभ उठाकर रकबा को मुन्तकिल करने की फिराक मे है यदि वह इसमे सफल हो गये तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः वादी के लिये अधिकारों की घोषणा करना तथा समस्त रकबा 4.554 हैक्टैयर का खातेदार काश्तकार होने के कारण एवं डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हक दार है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह चक 8 बीएनडब्ल्यू मे खाता संख्या 60/66 मु.न.. 38 की समस्त 4.554 हैक्टैयर वादी को खातेदार काश्तकार व हकदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवावे तथा उसको जबरन बेदखल करने, करवाने से तथा किसी को मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे। मगर वे लालच वंश होने से टाल मटोल करते हुए साफ इंकारी है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की जावे कि चक 8 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 60/66 मु.न. 38 प.न. 20/134 की 4.554 हैक्टैयर का वादी के दादा की वसीयत तथा पारिवारिक समझोता द्वारा बहिनो द्वारा माता के हिस्सा मे से हक हिस्सा छोड़ने के कारण खातेदार काश्तकार है। चक 8 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 60/66 से मृतक रामेशवरी पत्नी कालूराम, सुमित्रा, संतरो, रोशनी, पेपली पुत्रिया कालूराम उक्त खाता से नाम कलमजन किया जावे। इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की मदाखलत करने रहन, बैय करने से बाज व ममनू रहे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील बाद अखबार साया उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार की सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादी के कथनानुसार एवं प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त का इंतकाल वसीयत के आधार पर ना होकर विरासतन दर्ज हो गया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपने पक्ष मे हुई वसीयत के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जिसमे प्रतिवादीगण बाद तामील एवं बाद अखबार साया उपस्थित नही आये है जो कि वादी वसीयत के मुताबिक 4.554 है. आराजी में से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलपुर

Scanned by CamScanner

1/2 हिस्सा का हकदार था एव 1/2 हिस्सा आराजी की हकदार वादी माता थी परन्तु वसीयत के आधार पर एव पारिवारिक बंटवारा के आधार पर वादी 4.554 है. आराजी का खातेदार घोषित नही किया जा सकता है चूंकि प्रतिवादीगण ने पारिवारिक बंटवारा के सम्बध में उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र के स्वीकार नही किया है एव वादी 4.554 है. आराजी में से वसीयत के मुताबिक 1/2 हिस्सा आराजी का एवं 1/2 हिस्सा आराजी की हकदार वादी की माता रामेश्वरी थी जो कि रामेश्वरी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसके 1/2 हिस्सा मे से वादी 1/5 हिस्सा का हकदार है, इस प्रकार वादी का वाद पत्र सम्पूर्ण आराजी में हक हिस्सा ना होकर 4.554 है. में से 1/2 हिस्सा व वादी की माता के 1/2 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा तक स्वीकार किये जाने योग्य है एव इस हद तक वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:- चक 8 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 60/66 प.न. 20/134 मु.न. 38 कि.न. 1 ता 15 ,17 ता 19 में कुल 4.554 है. नहरी मय खाला आराजी में से वादी को 2.732 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव इस हद तक उक्त खाता से 0.759 है. आराजी से मृतक रामेश्वरी पत्नी कालूराम का नाम कलमजन किया जावे एवं 1.214 है. तक सुमित्रा, संतरो, रोशनी, पेपली पुत्रिया कालूराम का नाम कलमजन किया जाकर सुमित्रा, संतरो,रोशनी, पेपली पुत्रीयां कालूराम के नाम ब.हि.ब.1.822 है. आराजी दर्ज की जावे। उक्तानुसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानूसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.12.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्यांक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 108/2018

साहबराम पुत्र स्व0 कालूराम पुत्र रेड़ाराम जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान। – वादी

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी राणाराम पुत्री स्व0 कालूराम जाति मेघवाल साकिन चक 17 के एच एम तहसील पुगल जिला बीकानेर।
2. संतरो पुत्री कालूराम – फोत

2/1 मुकेश पुत्र स्व0 संतरो पुत्री कालूराम जाति मेघवाल निवासी गांव दुलवाणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3. रोशनी पत्नी प्रेमकुमार पुत्री स्व0 कालूराम जाति मेघवाल सकिन कीकरचक तहसील व जिला फाजिल्का–पंजाब ।
4. पेपली पत्नी रोहताश पुत्री स्व0 कालूराम जाति मेघवाल साकिन आजाद नगर हिसार तहसील जिला हिसार– हरियाणा।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार सादुलशहर । – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 आरटीए

एक्ट बरबिनाय वसीयत दिनांक 02.03.1995 तथा अन्य साक्ष्य हर किस्म

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ वकील वादी मिन जामिन मुद्दई एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 5 मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 8 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 60/66 प.न. 20/134 मु.न. 38 कि.न. 1 ता 15 ,17 ता 19 में कुल 4.554 है. नहरी मय खाला आराजी में से वादी को 2.732 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव इस हद तक उक्त खाता से 0.759 है. आराजी से मृतक रामेश्वरी पत्नी कालूराम का नाम कलमजन किया जाता है एवं 1.214 है. तक सुमित्रा, संतरो, रोशनी, पेपली पुत्रिया कालूराम का नाम कलमजन किया जाकर सुमित्रा, संतरो,रोशनी, पेपली पुत्रीयां कालूराम के नाम ब. हि.ब.1.822 है. आराजी दर्ज की जावे। उक्तानुसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 16.12.19 को जारी की गई।

16.12.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.03 17:46:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: